[redacted]

<u>अति तत्काल</u>

No. 8/2/2015-OL(S)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय / राजभाषा विभाग

एनडीसीसी -II, चौथा तल, जय सिंह मार्ग ,

नई दिल्ली, ~~27.10.2015~~ 23/11/2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की FR 56 (j) एवं CCS (Pension) Rules, 1972 के नियम 48 (1)(b) के अंतर्गत सेवा समीक्षा ।

उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के संसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.10.2015/02.11.2015 का संदर्भ लें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन स. 25013/1/2013-स्थापना (ए) दिनांक : 11/9/2015 / 21/3/2015 के अनुसार केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी उम्र 50/55 वर्ष है और उनकी सेवा के 30 वर्ष पूरे हो चुके है और जो अगले छः महीने में 50 वर्ष के हो रहे हैं की सेवा समीक्षा की जानी अपेक्षित है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऊपर लिखित कार्यालय ज्ञापन जो की उनकी वैबसाइट (www.permin.nic.in) पर उपलब्ध है का अवलोकन करें।

2. सभी संदर्भित मंत्रालयों / विभागों / अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि उनके कार्यालय में तैनात केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के वो अधिकारी/कर्मचारी जिनकी FR 56 (j) एवं CCS (Pension) Rules, 1972 के नियम 48 (1)(b) के तहत सेवा की समीक्षा की जानी अपेक्षित है, की सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों / व्यक्तिक पंजिका में उनके कार्यकाल के ब्योरों को देखते हुए शास्ति / उनके कार्यकाल की प्रतिकूल रिपोर्ट (Vigilance Clearance / Adverse Report)का ब्योरा इस विभाग को 28.12.2015 तक अवश्य भेजना सुनिश्चित करें।

23/11/15

(ए. के. सिंह)

निदेशक (सेवा)

<u>सभी संदर्भित मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थकार्यालय (सूची अनुसार)</u>